

उत्तर प्रदेश शासन
संस्कृति अनुभाग
संख्या-4039/चार-2009-140(वि०)/2008
लखनऊ: दिनांक 14 दिसम्बर, 2009

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष "संत रविदास कला सम्मान" पुरस्कार विषयक निम्न मार्गचर्चाक रिद्धान्त निर्धारित करते हैं:-

1. शीर्षक- "संत रविदास कला सम्मान" पुरस्कार

2. उद्देश्य:-

संस्कृति विभाग, उ०प्र० द्वारा प्रति वर्ष एक कलाकार को सम्मानित किये जाने की योजना है, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त किया है तथा उत्कृष्टता के आयाम स्थापित किये हों।

3. संख्या एवं शशि:-

संत रविदास कला सम्मान, पुरस्कार प्रतिवर्ष एक कलाकार को निम्नलिखित विधाओं में प्रदान किया जायेगा:-

- 1- शास्त्रीय संगीत की सगुण एवं निर्गुण गायन परम्परा
- 2- लोक संगीत के सगुण एवं निर्गुण लोक गायन परम्परा

"संत रविदास कला सम्मान" पुरस्कार के अन्तर्गत रू० 1.25 लाख की धनराशि, अगदस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र सम्मानित कलाकार को भेंट स्वरूप प्रदान किया जायेगा।

4. अर्हताएं:-

"संत रविदास कला सम्मान" पुरस्कार के अन्तर्गत विचार हेतु निम्नलिखित अर्हताएं होना आवश्यक है:-

- 1- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- 2- अपनी विधा विशेष में कुल मिलाकर न्यूनतम 20 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हो।
- 3- तीव्र एवं आपदादिक परिस्थितियों में विशिष्ट महानुभाव के लिए मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।

नोट:- "नैतिक अधमता" विषयक अपराध के आरोपी को "संत रविदास कला सम्मान" पुरस्कार नहीं प्रदान किया जायेगा।

5. छल/छद्म से प्राप्त "संत रविदास कला सम्मान" पुरस्कार धनराशि सहित वापस ले लिया जायेगा।

6. प्रक्रिया:-

"संत रविदास कला सम्मान" पुरस्कार के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया से नामांकन प्राप्त किया जायेगा:-

1. प्रत्येक वर्ष निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा निर्धारित तिथि तथा देश के राष्ट्रीय/ प्रादेशिक स्तर के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में

17/11/09

विज्ञापन कराकर निर्धारित प्रारूप पर निम्न सांस्कृतिक संस्थानों/महानुभावों से नामांकन प्राप्त किये जायेंगे:-

- (1) कलाकारों से सीधे नामांकन।
- (2) भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित सांस्कृतिक स्मारकशास्त्री संस्थान।
- (3) भारत सरकार संस्कृति विभाग के समस्त क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र।
- (4) प्रसार भारती (दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र)
- (5) विश्वविद्यालयों के कला सभाय/विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कला संस्थान।
- (6) मदन पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव।
- (7) उ०प्र० संस्कृति विभाग के विभिन्न संस्थानों/अकादमियों तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०।

प्रारूप में संस्तुतकर्ता द्वारा प्रस्तावित कलाकार की विशिष्ट उपलब्धियों का सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने वाले नामांकनों का परीक्षण निदेशक, संस्कृति द्वारा प्रत्येक वर्ष किसी वरिष्ठ कलाकार की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। परीक्षण के उपरान्त आरख्या चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

7. चयन समिति

(क) "संत रविदास कला सम्मान" पुरस्कार हेतु कलाकारों के चयन के लिए गिनालिखित चयन समिति होगी:-

- | | |
|--|------------|
| 1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश | अध्यक्ष |
| 2- प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग | सदस्य सचिव |
| 3- शास्त्रीय संगीत के गायन क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ | सदस्य |
| 4- लोक संगीत के गायन क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ | सदस्य |

(ख) चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष के लिए नामित किया जायेगा।

(ग) चयन समिति की बैठक वित्तीय वर्ष में एक बार अवश्य आयोजित की जायेगी। अध्यक्ष की स्वीकृति से बैठक कभी भी आयोजित की जा सकती है।

(घ) चयन समिति की बैठकों में सम्मिलित होने के लिए बाहर से आये विशेषज्ञों को द्वितीय श्रेणी यातानुकूलित रेल किराया देय होगा। उन्हें उसी दर से दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा जिस दर से राज्य सरकार के सचिव स्तर के अधिकारियों को अनुमन्य होता है। इससे सम्बन्धित व्यय प्रतिवर्ष "संत रविदास कला सम्मान" पुरस्कार हेतु प्रापिधानित वनराशि से वहन किया जायेगा।

(ङ) सदस्य सचिव द्वारा चयन समिति के समक्ष निदेशक, संस्कृति निदेशालय से प्राप्त नामांकित एवं परीक्षण आरख्या विद्यारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। चयन समिति नियम-3 में उल्लिखित विचारों में से सर्वश्रेष्ठ एक कलाकार का नाम "संत रविदास कला सम्मान" पुरस्कार हेतु संस्तुत करेगी।

(च) चयन समिति को यह स्वतंत्रता होगी कि यदि आवश्यक समझे तो वे नाम भी इसमें जोड़ सकते हैं जो समिति की दृष्टि में विचार योग्य हो।

३२.

(ज) नयन समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर मा० मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से यह पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

(झ) अध्यक्ष नयन समिति द्वारा यथा आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ/अन्य महानुभाव को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।

8. सम्मान समारोह

1- संत रविदास कला सम्मान पुरस्कार हेतु एक कलाकार को संस्कृति विभाग द्वारा निर्धारित समय पर आवश्यकतानुसार समारोह में अलंकृत किया जायेगा।

2- सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए सम्मानित कलाकारों को किराया (रिज वातानुकूलित प्रथम श्रेणी अथवा हवाई जहाज) तथा राज्य अतिथि के रूप में अनुमन्य स्थानीय व्यवस्था की जायेगी।

3- सम्मान समारोह हेतु चयनित वृद्ध एवं गम्भीर रूप से अस्वस्थ अथवा शारीरिक रूप से अक्षम महानुभावों को एक अनुरक्षक साथ में लाने की अनुमति भी दी जायेगी जिसे वैसी ही सुविधाएं दी जायेगी जो सम्मान प्राप्त करने वाले महानुभावों को उपलब्ध करायी जायेगी।

अवनीश कुमार अवस्थी
सचिव।

संख्या-4059(1)/चार-2009 तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रायत-

- 1 महालेखाकार 3090 इलाहाबाद।
- 2 जनसंघ प्रमुख सचिव/सचिव, 3090 शासन।
- 3 सागरत गण्डल आयुक्त/जिला अधिकारी, 3090
- 4 निदेशक, संस्कृति विभाग, 3090 लखनऊ।
- 5 निदेशक, सूचना, 3090 लखनऊ।

आज्ञा से
32
(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संत रविदास कला सम्मान पुरस्कार
(नामांकन प्रारूप)

03 फोटोग्राफ

1. नाम
2. पिता का नाम
3. निवास का पता
- (दूरभाष नम्बर सहित)
4. सहितार
क-शिक्षक
- ख-तकनीक
- ग- प्रशिक्षण
- घ- अनुभव
5. उपलब्धियाँ
6. जो प्रो में कला में योगदान
- की अवधि (प्रमाण सहित)
7. संस्तुतकर्ता की नामांकन के संदर्भ
- में संक्षिप्त टिप्पणी

हस्ताक्षर:

नाम/पदनाम/पता सहित

नोट- कृपया उपर्युक्त प्रविष्टियों के संदर्भ में सम्यक प्रमाणों की प्रतियाँ भी
उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रारूप में स्थान कम होने पर अलग से प्रपत्र संलग्न
करें।